

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गृप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (24) एम.ई./गृप-1/1988 पार्ट

जयपुर, दिनांक


6 NOV 2017

संशोधित आदेश

निम्नलिखित सहायक आचार्य, सी0टी0 सर्जरी विशिष्टता के चिकित्सक शिक्षकों उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में संशोधित आदेश जारी कर तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है :-


क्र.सं.	चिकित्सक का नाम मय पदनाम	कहां से	कहां को
1.	डॉ0 सर्वेश शर्मा,	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
2.	डॉ0 मोहित शर्मा	मेडिकल कॉलेज, कोटा	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
3.	डॉ0 कृष्ण कुमार मावर	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	मेडिकल कॉलेज, जयपुर

आज्ञा से


(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, कोटा/अजमेर/बीकानेर।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, कोटा/अजमेर/बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।


(महेश च्यास)
सहायक शासन सचिव